

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 1979/साघ 25, 1900
No. 76] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 1979/MAGHA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

आपदेश

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1979

का. आ. 92 (अ).—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित, धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार की सहमति से एतद्वारा निम्नीलिखित मामलों अर्थात् :—

- (1) महेश्वरी प्रसाद शर्मा की अभिकथित हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 27-1-1979 का क्रम क्र.आ पुलिस थाना का मामला संख्या 79,

(2) डा. रघुजी वर्मा की अभिकथित हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 26-1-1979 का पीर बहारे पुलिस थाना का मामला संख्या 44,

के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराध तथा उक्त अपराध के सम्बन्ध में या उससे संबंधित प्रयत्नों, षड्यंत्रों और पड्यंत्रों तथा उन्हीं तथ्यों में उत्पन्न हुई वैसे ही कार्रवाई के दौरान किए गए अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियाँ एवं अधिकारिता का सगस्त बिहार राज्य में विस्तार करती है।

[संख्या 228/2/79-ए.वी.डी.-2]

एस. के. लाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & A. R.)

ORDER

New Delhi, the 14th February, 1979

S.O. 92(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6, of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of Bihar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Bihar for the investigation of offence punishable under section 302 of the Indian Penal Code (45 of 1860), and attempts, abetments and conspiracies, in relation to, or in connection with, the said offence and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to the following cases, namely :—

- (1) Kadam Kuan Police Station case No. 79 dated 27-1-1979 relating to alleged murder of Maheshwari Prasad Sharma.
- (2) Pir Bahore Police Station case No. 44 dated 26-1-1979 relating to alleged murder of Dr. Raghuji Verma.

[No. 228/2/79-AVD. II]

S. K. LALL, Jt. Secy.